पत्रांक – मं०मं०–01 / मंत्रिपरिषद्–03 / 2014–1312

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

अरविन्द कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / पुलिस महानिदेशक, बिहार
सभी प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक–10, **अक्टूबर, 2025**

विषय – आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के फलस्वरूप मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ भेजे जाने वाले संलेख प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

दिनांक–06.10.2025 को बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2025 की घोषणा हो चुकी है एवं चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है।

उक्त के आलोक में निदेशानुसार कहना है कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के फलस्वरूप मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ भेजे जाने वाले संलेख प्रस्ताव में यह अंकित किया जाय कि "संलेख प्रस्ताव में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो रहा है।" साथ ही यदि लागू आदर्श आचार संहिता की स्थिति में आवश्यक हो तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग से सहमति प्राप्त कर ही संलेख प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन हेतु भेजे जायें।

विश्वासभाजन

05/10/25

(अरविन्द कुमार वर्मा)
विशेष सचिव